संख्या- 10 / 2017 / 1480 / चार-2016 -135(विविध)/2005 टीसी

प्रेषक,

डा0 हरिओम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2017

विषय:- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2108/सं0नि0-20(18)/06-07 दिनांक 16 नवम्बर,2016 में यह अवगत कराया गया है कि आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में कार्य हेतु स्वीकृत आगणन रू0 983.47 लाख के सापेक्ष पूर्व में नगर निगम द्वारा रू0 100.00 लाख के अतिरिक्त अपने हिस्से की अवशेष धनराशि रूपये 33.75 लाख उपलब्ध करायी जायेगी। अर्थात रू0 983.47 लाख में से नगर निगम द्वारा दी जाने वाली धनराशि रू0 133.75 लाख को न्यून करके कुल रू0 849.72 लाख का प्रबन्ध संस्कृति विभाग द्वारा किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रू0 849.72 लाख शासनादेश दिनांक 13.10.2006 द्वारा रू0 93.57 लाख, वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश दिनांक 19-03-2014 द्वारा 50.00 लाख , वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश दिनांक 28-08-2015 द्वारा 100.00 लाख, शासनादेश दिनांक 15-02-2016 द्वारा रू0 150.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 10-03-2016 द्वारा रू0 456.15 लाख इस प्रकार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अब तक निर्गत की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित/संशोधित प्रस्तावित आगणन धनराशि रू0 1814.16 लाख के सापेक्ष लागत धनराशि रू0 1333.43 लाख मूल्यांकित की गयी है, जिसके सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत कुल धनराशि रू0 849.72 लाख प्रदान की गयी थी। अत: शासनादेश संख्या-153/2016/1480/चार-2016-135(विविध)/2005 टीसी दिनांक 28 सितम्बर, 2016 द्वारा रू0 483.71 लाख को संशोधित करते हुए रू0 349.96 लाख की सीमा तक प्रशासकीय स्वीकृत तथा अवशेष धनराशि रू0 224.96 लाख (रूपये दो करोड चौबीस लाख छियानबे हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 126.00 लाख (रूपये एक करोड छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

3- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -30- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

5- उक्त शासनादेश संख्या-156/2016/1783/चार-2016-135(विविध)/2005 टीसी दिनांक 07 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या - 10 / 2017 / 1480 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नगर आयुक्त , नगर निगम लखनऊ।
5 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7 -प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8 - सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
10- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।